

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672] No. 672] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

रक्षा मंत्रालय

(पूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.आ. 747(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा सेवानिवृत्त रक्षा बलों के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को सेना के लिए पेंशन विनियमन, 1961, वायुसेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 और नौसेना के लिए पेंशन विनियम 1964 के अधीन पेंशन का संदाय किया जाता है और फायदाग्राहियों को पेंशन का संवितरण अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है;

और पेंशन के पूर्वोक्त फायदे में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकयों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लिक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- 1. (1) पेंशन फायदा प्राप्त करने वाले किसी व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन प्रक्रिया पुरी करे ।
 - (2) पेंशन फायदा प्राप्त करने के लिए हकदार ऐसे किसी पात्र फायदाग्राही के लिए, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किन्तु जो पेंशन फायदे प्राप्त करने का

1257 GI/2017 (1)

इच्छुक है, तारीख 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार रक्षा मंत्रालय से, अपने पेंशन संवितरण अभिकरणों के, जो किसी व्यष्टि से आधार संख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, यह अन्य माध्यमों से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, वहां रक्षा मंत्रालय, अपने पेंशन संवितरण अभिकरणों या अन्य माध्यमों से भारतीय विशिष्ट पहचान प्रधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्रधिकरण रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा:

परन्तु यह और कि उस समय तक जब तक पेंशन फायदों के फायदाग्राही को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा जारी पूर्व सैनिक कार्ड; और
- (ख) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या
 - (ii) नीचे पैरा 2 के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज, अर्थात्:-

- (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या
- (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थाई खाता संख्या कार्ड; या
- (iii) पासपोर्ट; या
- (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
- (v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र शीर्ष पर जारी पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगा हो; या
- (vi) डाक विभाग द्वारा जारी पता कार्ड, जिस पर नाम और फोटो हो; या
- (vii) किसान फोटो पासबुक; या
- (viii) रक्षा मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, रक्षा मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध पेंशन फायदे प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय, अपने पेंशन संवितरण अभिकरणों या अन्य माध्यमों से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:-

- (1) पेंशन फायदों के फायदाग्राहियों के बीच मीडिया के माध्यम से और व्यष्टिक सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा तािक उन्हें स्कीम के अधीन आधार संख्या की अपेक्षा के संबंध में जागरूक बनाया जा सके और उस दशा में जब उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों में तारीख 30 जून, 2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) पेंशन फायदों के फायदाग्राहियों के, उनके आस-पास जैसे कि ब्लॉक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, रक्षा मंत्रालय से अपने पेंशन संवितरण अभिकरणों या अन्य माध्यमों से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का मृजन करने की अपेक्षा की जाएगी तथा पेंशन फायदों के फायदाग्राही, पूर्व सैनिक कार्ड के साथ अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उपपैरा (3) के खंड (ख) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे पेंशन संवितरण अभिकरणों या अन्य माध्यमों से या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए वैब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।
- (3) यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी। परंतु यह अधिसूचना निम्नलिखित प्रवर्गों के पेंशनभोगियों या कुटुंब पेंशनभोगियों को लागू नहीं होगी, अर्थात्:-
 - (i) एनआरआई, जो किसी अन्य देश या विदेश में निवास करते हैं,
 - (ii) ऐसे भारतीय, जो विदेशों में बस गए हैं और जो किसी अन्य देश या विदेश के नागरिक हैं,
 - (iii) नेपाल में अधिवासी, बर्मी और समान प्रवर्ग के रक्षा पेंशनभोगी।

[फा. सं.14(2)/2014/डी(पी/पी) (भाग 1)]

रविकांत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

$(Department\ of\ Ex-Service men\ Welfare\)$

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.O. 747(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the payment of pension is given to retired Defence Forces pensioners/ Family Pensioners (hereinafter referred to as beneficiaries) by the Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence in the Government of India under the Pension Regulations for Army, 1961, the Pension Regulations for Air Force, 1961, and the Pension Regulations for Navy 1964 and the pension is disbursed to beneficiaries through Pension Disbursement Agencies;

And, whereas, the aforesaid benefit of pension involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --

1. (1) An individual eligible to receive the pension benefits is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

- (2) Any eligible beneficiary entitled to receive pension benefits, who does not possess the Aadhaar Number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing pension benefits is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Defence through Pension Disbursement Agencies or other means which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Defence through Pension Disbursement Agencies or other means is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India registrar:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiary of pension benefits, benefits shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:

- (a) Ex-servicemen Card issued by the concerned authorities; and
- (b) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
 - (ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

any of the following documents, namely:-

- (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or
- (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or
- (iii) Passport; or
- (iv) Driving License issued by Licensing authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
- (v) Certificate of Identity having photo issued by a Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or
- (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or
- (vii) Kisan Photo Passbook; or
- (viii) any other document as specified by the Ministry of Defence:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry of Defence for that purpose.

- 2. In order to provide convenient and hassle free pension benefits to the beneficiaries, the Ministry of Defence through Pension Disbursement Agencies or other means shall make all the required arrangements including following; namely:-
 - (1) Wide publicity through media and individual notices shall be given to beneficiaries of pension benefits to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017 in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.
 - (2) In case, beneficiaries of pension benefits are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the block or tehsil or taluka, the Ministry through Pension Disbursement Agencies or other means is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries of pension benefits may register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number with Ex-Servicemen Card and other details specified in the proviso to clause (b) sub-paragraph (3) of paragraph 1 with their Pension Disbursement Agencies or other means or through the web portal provided for the purpose.

- 3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir. Provided that this notification shall not be applicable for following categories of Pensioners or Family Pensioners, namely:—
 - (i) NRI who resides in other or foreign country,
 - (ii) Overseas settled Indian who is citizen of other or foreign country,
 - (iii) Nepal Domiciled, Burmese and similar categories of defence pensioners.

[F. No. 14(2)/2014/D(P/P)(Part-I)]

RAVI KANT, Jt. Secy.